

नियम 93 : अभिसाक्ष्य अभिलिखित करने का प्ररूप

- (1) साक्षी का अभिसाक्ष्य विहित जीएसटीएटी प्ररूप-07 में अभिलिखित किया जाएगा।
 - (2) अभिसाक्ष्य के प्रत्येक पृष्ठ पर पीठ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - (3) यदि पीठ का समाधान हो जाता है तो साक्षी द्वारा बताए गए सुधार, यदि कोई हों, किए जा सकेंगे और विधिवत हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। यदि समाधान नहीं होता है, तो बयान के नीचे इस आशय का एक नोट संलग्न किया जाएगा।
-